I/1070/2023
I/1070/2023

सत्यमेव जयते

संख्या– 1070/जी0एस0(शिक्षा)/**A11-214(3)**/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 07/12/ ~~नवम्बर~~, 2023

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा राजभवन एफिलियेशन पोर्टल पर आवेदन आई0डी0 सं0–230530092441 के माध्यम से प्रेषित निम्नांकित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 . उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है:–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
पेस्टल वीड कॉलेज ऑफ इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी, मसूरी डायवर्जन रोड़, देहरादून	बी0एससी0(आनर्स)–एग्रीकल्चर	60	2023–24
	बी0एससी0(आनर्स)–फोरेस्ट्री	60	
	बी0एससी0(आनर्स)–जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन	60	
	बी0एससी0–(एनीमेशन एण्ड मल्टीमीडिया)	60	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध कराये।

(2) संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित समयावधि में फेकल्टी की नियुक्ति करते हुए फेकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।

(3) संस्थान में भवन मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 05-12-2023 15:59:00

I/1070/2023

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– 1070 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A11-214(3)**/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3 प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।
4 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 07/12/2023 11:02 am